

‘हरियाणा करियाे पर सरकारी संपत्तनिपिटान नीति 2023’ अधसूचति

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सरकार ने पछिले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से करियाे या पट्टे के माध्यम से व्यक्तगित या नजि संस्था के कब्जे वाली सरकारी वभिगों, बोरडों, नगिमों और प्राधकिरणों की संपत्तियों (दुकानों/मकानों) को बेचने के लिये ‘हरियाणा करियाे पर सरकारी संपत्तनिपिटान नीति 2023’ को अधसूचति की है।

परमुख बडि

- मुख्य सचवि संजीव कौशल ने यह जानकारी देते हुए बताया कयिह नीति 100 वर्ग गज परतलिभार्थी/परतलिभूखंड तक की ऐसी सभी संपत्तियों पर लागू होगी, जो 01 जून, 2001 से पहले पट्टे या करिए पर दी गई थी।
- मुख्य सचवि ने बताया कयिह एक ‘वन टाइम पालिसी’ है जिसके अंतर्गत आने वाले लोगों को नीतिकी अधसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- यह नीति परियटन, परविहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभिगों की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह नीति शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी।
- वशिष्ट वभिगीय अधनियिमों और वैधानकि नयिमों के अर्थात् हरियाणा वसिथापति संपत्ति (प्रबंधन और निपिटान) नयिम 2011, हरियाणा पंचायती राज अधनियिम 1994, हरियाणा पंचायती राज नयिम 1995, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (वनियिमन) अधनियिम 1961, हरियाणा ग्राम ग्राम शामलात (वनियिमन) नयिम 1964 और वसिथापति संपत्ति (प्रबंधन और निपिटान) अधनियिम 2008 के तहत शासति होने वाली भूमि को भी इस नीति से बाहर रखा जाएगा।
- इस नीति में वे संपत्तियाँ शामिल होंगी, जिनका स्वामतिव या प्रबंधन सरकारी संस्था द्वारा कयिा जाता है और जो करिए या पट्टे का पैसा अथवा लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी शुल्क के आधार पर खाली ज़मीन, दुकान (दुकानों) जिसका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) मकान और उसका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) उद्योग और खाली भूमि के लिये सरकारी संस्था को देय या प्राप्य है।
- ऐसी संपत्तियों के मामले में, जिनसे सरकारी संस्थाएँ वार्षिक कलेक्टर रेट मूल्य का 8 परतशित और उससे अधिक का करिया पट्टा प्राप्त कर रही हैं, तो सक्षम प्राधकिारी को वह संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- कब्जे की अवधि के आधार पर बेस रेट पर रियायत-**
 - जसि संपत्ति पर कसिी व्यत्तिका 20 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा है, उससे सर्कल रेट का 80 परतशित शुल्क लयिा जाएगा।
 - 30 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 35 वर्ष से कम की अवधि तक कब्जे वाले लोगों से सर्कल रेट का 75 परतशित शुल्क लयिा जाएगा।
 - इसके अलावा, 35 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम की अवधितिक कब्जे वाले लोगों को सर्कल रेट का 65 परतशित भुगतान करना होगा।
 - 40 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा रखने वालों से सर्कल रेट का 60 परतशित और 45 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 50 वर्ष से कम की अवधि के लिये सर्कल रेट का 55 परतशित शुल्क लयिा जाएगा।
 - जिनके पास 50 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये कब्जा है, उनसे सर्कल रेट का 50 परतशित शुल्क लयिा जाएगा।
- नीतिकी नगिरानी एवं क्रयिान्वयन शहरी स्थानीय नकिया वभिग द्वारा इसके लिये तैयार कयि गए पोर्टल के माध्यम से कयिा जाएगा।